संख्या-64/2024/1660/003-87-01014-30-2019 क्क्ळ

प्रेषक,

सुनील कुमार चौहान,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग लखनऊ : दिनांक 12 दिसम्बर, 2024

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत डिसेन्ट्रालाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन (डीडीजी) कार्यक्रम के अंतर्गत सौलर ऊर्जा के माध्यम से ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3233/यूपीनेडा-एसएसएल/बजट/2024-25, दिनांक 07 सितम्बर, 2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अन्तर्गत इण्डो नेपाल सीमा पर स्थित दूरगामी एवं प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के स्तर से विद्युत समस्या ग्रस्त/विद्युत विहीन ग्रामों को सौर ऊर्जा पावर पैक के माध्यम से विद्युतीकरण का कार्य कराये जाने हेतु मद संख्या-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 2500.00 लाख (रूपये पच्चीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष बची धनराशि रू0 1250.00 लाख में से तृतीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 625.00 लाख (रूपये छह करोड़ पच्चीस लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1- उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों में निहित प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि से किसी भी अनानुमोदित मद/मदों पर व्यय न किया जाये। अनुदान का बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को यूपीनेडा द्वारा अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जायेगा।

4- यूपीनेडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

5- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबतद्ध ढंग से विलम्बतम 31-05-2025 तक कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की भौतिक प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग/अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतरू कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 02 माह में अर्थात् दिनांक 31 मई, 2025 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.gov.in

6- उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरित/व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक 19 जून, 2024 तथा समय-समय पर जारी संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7- वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरणोपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने पर ही चतुर्थ किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,25,00,000 (रुपये छह करोड़ पच्चीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 070 लेखा शीर्षक 2810608000800 डिसेन्ट्रलाईज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन (डी.डी.जी.) कार्यक्रम के अन्तर्गत सौर ऊर्जा के माध्यम से ग्रामों का विद्युतीकरण मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-90-X-2024-25-दिनांक 11-12-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सुनील कुमार चौहान
अनु सचिव

संख्या-64/2024/1660(1)/003-87-01014-30-2019, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
(3) कोषाधिकारी, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(6) निदेशक,स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुनील कुमार चौहान
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।